

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 90 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 106

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री मोईनुद्दीन पुत्र श्री अजीमुद्दीन निवासी
17 उपला खँटवाल, बांसवाड़ा (विक्रेता/
मालिक) मैसर्स मोईनुद्दीन मिर्च मसाला,
सुरजपोल गेट के बाहर, बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 02-09-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 25-07-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 15-02-2024 को बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु 3.00 पी.एम. बजे मैसर्स मोईनुद्दीन मिर्च मसाला, सुरजपोल गेट के बाहर, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मोईनुद्दीन पुत्र श्री अजीमुद्दीन उपस्थित थे। मैसर्स मोईनुद्दीन मिर्च मसाला, सुरजपोल गेट के बाहर, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में लाल मिर्च पाउडर (लूज) लगभग 12 किग्रा रखा पाया। जिसको एफ.एस.एस.ए के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर लाल मिर्च पाउडर (लूज) जाँच हेतु विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए लाल मिर्च पाउडर (लूज) 2 किग्रा वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 800/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा लाल मिर्च पाउडर (लूज) 2 किग्रा को साफ सुखे प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एयर टाईड ढक्कन बंद कर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक 1723 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार



अभिषेक गोयल
(अति.जिला क्लर्क)
बांसवाड़ा (राज.)

सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म न. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/131 दिनांक 28-03-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 235 दिनांक 27-02-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना कोड क्रमांक **W-1723** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006+ Prohibition and Restriction on Sale है। विक्रेता द्वारा लाल मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 30-07-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 02-09-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/131 दिनांक 28-03-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 235 दिनांक 27-02-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना कोड क्रमांक **W-1723** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006+ Prohibition and Restriction on Sale है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला क्लर्क)
बॉसवाडा (राज.)

है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard एवं लाल मिर्च खुला बेचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में वर्जित है। विक्रेता ने लाल मिर्च पाउडर (लूज) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51, 58 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री मोईनुद्दीन पुत्र श्री अजीमुद्दीन निवासी 17 उपला खँटवाल, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स मोईनुद्दीन मिर्च मसाला, सुरजपोल गेट के बाहर, बांसवाडा को 5000/- (अक्षरे रू पांच हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 02-09-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोसल)
न्याय नियंत्रण अधिकारी
(अतिरिक्त जिला न्यायाधीश)
(अतिरिक्त जिला न्यायाधीश)
बांसवाडा (राज.)